सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा

सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है, जिसमे सभी बच्चों को चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग भाषा आदि के हों, शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है। आजादी के बाद गठित सभी शिक्षा आयोगों में एक बात पर आम राय रही है कि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना पहला कदम है, लेकिन इन सिफारिशों को हकीकत में बदलने के लिए क्रियान्वयन की कोशिश आज भी एक सपना है। हमारे देश में शिक्षा को सरकारी व गैर सरकारी दोनों रूपों में चलाया जा रहा है। शिक्षा को निजी लोगों और संस्थानों के हवाले करना और उनको उनके तरीके से काम करने की आजादी देने को शिक्षा का निजीकरण अथवा प्राइवेट शिक्षा कहते है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के तरीके में बदलाव आया है। पहले शिक्षण संस्थान सरकार द्वारा चलाये जाते थे परन्तु कुछ समय से निजी संगठनो की साझेदारी से भी चलाये जाने लगे है। निजी संस्थानों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नही होता है। निजी विद्यालयों में संस्थान अपने अनुसार नियम बनाते है।

Scanned with CamScanner